गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 181वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 को प्रातः 11:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
4.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
5.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
6.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
7.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
10.	प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति	सदस्य
11.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
12.	प्रो0 एल.व्ही.के.एस. भास्कर	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	डॉ0 अमित कुमार गुप्ता, प्रभारी–अधिष्ठाता, समाज विज्ञान संकाय	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो0 एस. आर. महापात्रा, प्रभारी–अधिष्ठाता, विधि संकाय	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी
2. प्रो0 रामकृष्ण प्रधान
3. प्रो0 पी.पी. मूर्ति
4. डॉ0 बबिता माझी
5. डॉ0 पायल बनर्जी
6. प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष आमंत्रित सदस्य

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में विश्वविद्यालय के स्थायित्व के लिए आवश्यक गुणों पर चर्चा की तथा यह बताया कि विश्वविद्यालय के स्थायित्व हेतु आंतरिक व्यवस्था सुदृढ होना आवश्यक है। कुलपति महोदय ने यह भी बताया कि उंचाई पर चढ़ने के लिए सतत प्रयास एवं मेहनत की आवश्यकता होती है। प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 180वीं बैठक दिनांक 20.05.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 180वीं बैठक दिनांक 20.05.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 180वीं बैठक दिनांक 20.05.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 180वीं बैठक दिनांक 20.05.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. **अध्ययन मण्डल पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की बैठक दिनांक 10.04.2024 द्वारा NEP based UG Programme की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंकयोजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की बैठक दिनांक 10.04.2024 द्वारा NEP based UG Programme की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंकयोजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हों।

विषय क्र. 04. **जीजीवी सारथी योजना के अन्तर्गत न्यूनतम शुल्क रूपये 05/– प्रति ट्रिप लिये जाने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जीजीवी सारथी योजना के अन्तर्गत न्यूनतम शुल्क रूपये 05/– प्रति ट्रिप निर्धारण संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एनएसएस के नोडल अधिकारी प्रस्तुत प्रस्ताव के वित्तीय प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रावधान प्रारूपित कर प्रस्ताव पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 05. **विश्वविद्यालय परिसर में जीजीवी हमसफर योजना प्रारंभ किये जाने पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में जीजीवी हमसफर योजना प्रारंभ किये जाने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एनएसएस के नोडल अधिकारी प्रस्तुत प्रस्ताव के वित्तीय प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रावधान प्रारूपित कर प्रस्ताव पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

विषय क्र. 06. **दूरस्थ एवं ऑनलाईन शिक्षा केन्द्र के तहत ऑनलाईन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव एवं पाठ्यक्रमों के निर्धारण पर विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि दूरस्थ एवं ऑनलाईन शिक्षा केन्द्र के तहत ऑनलाईन पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्ताव एवं पाठ्यक्रमों के निर्धारण संबंधी प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 07. **अनुचित साधन प्रकरण निराकरण (UFM) से संबंधित विनियम (Regulation) में संशोधन पर विचार के संबंध में।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अनुचित साधन प्रकरण निराकरण (UFM) से संबंधित विनियम (Regulation) में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संशोधन को स्थायी समिति की बैठक तिथि से प्रभावशील किया जाय।

Ranadive 04-06-2024

04/06/2024

विषय क्र. 08. **रजत जयंती सभागार में प्रदर्शनी लगाये जाने पर किराया निर्धारण के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि रजत जयंती सभागार में प्रदर्शनी लगाये जाने के लिए किराया दर रूपये 5,000/– प्रतिदिन निर्धारित किया जाय।

विषय क्र. 09. **रजत जयंती सभागार के हॉल क्रमांक–01 के किराया निर्धारण के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि रजत जयंती सभागार के हॉल क्रमांक–01 के लिए किराया दर रूपये 10,000/– प्रतिदिन (बिजली बिल शामिल) निर्धारित किया जाय।

विषय क्र. 10. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण), विनियम, 2018 के तहत ग्रेडेड स्वायत्तता (श्रेणी–1) के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में विचार।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों (केवल) का श्रेणीकरण), विनियम, 2018 के तहत ग्रेडेड स्वायत्तता (श्रेणी–1) के लिए प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण की जाय एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठकों में अधिष्ठाता छात्र कल्याण को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.02 बैठक के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में संगीत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि संगीत केन्द्र की स्थापना की जाय एवं प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संगीत प्रशिक्षण केन्द्र के सुचारू संचालन एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु आवश्यक प्रावधान प्रारूपित करने के लिए समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

Kanadive

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

04/06/2024

कुलपति/अध्यक्ष